

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, छत्तीसगढ़

राज्य तंबाकू नियंत्रण सेल

इंद्रावती भवन, नया रायपुर (छ.ग.)

दूरभाष क्रमांक 0771-2221621

ईमेल-ntcpcg@gmail.com



क्रमांक/39/2019/007/96

अटल नगर, दिनांक 21/02/2019

प्रति,

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
समस्त जिला (छ.ग)

विषय - समस्त नगरीय निकायों को तम्बाकू मुक्त क्षेत्र बनाये जाने के सम्बन्ध में।


सन्दर्भ - संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास क्रमांक/ उप संचा./SBM/87/2018/923 अटल नगर, रायपुर,
दिनांक - 30.01.2019.

--00--

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख हैं, कि संदर्भित पत्र के माध्यम से संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास द्वारा समस्त आयुक्त, नगर पालिक निगम / समस्त मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद् / नगर पंचायत (छ.ग) को अपने- अपने निकायों को तम्बाकू मुक्त क्षेत्र बनाये जाना सुनिश्चित किये जाने हेतु पत्र प्रेषित किया गया है।

उक्त सम्बन्ध में जिला तम्बाकू नियंत्रण इकाई आयुक्त, नगर पालिक निगम / समस्त मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगरीय पालिका परिषद् / नगर पंचायत (छ.ग) से समन्वय करते हुए समस्त नगरीय निकायों को तम्बाकू मुक्त क्षेत्र बनाया जाना सुनिश्चित करें।


संलग्न - उपरोक्तानुसार


राज्य नोडल अधिकारी (एन.टी.सी.पी)
संचालनालय, स्वास्थ्य सेवाएँ
छत्तीसगढ़
रायपुर, दिनांक 21-02-19

पृ.क्रमांक /39/2019/007/97

प्रतिलिपि :-

1. आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाएँ, इंद्रावती भवन, अटल नगर, छ.ग. शासन ओर सादर सूचनार्थ।
2. संचालक, स्वास्थ्य सेवाएँ, इंद्रावती भवन, अटल नगर, छ.ग. शासन ओर सादर सूचनार्थ।
3. संचालक, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, इंद्रावती भवन, अटल नगर,, की ओर सादर सूचनार्थ।
4. मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, सेक्टर- 27, अटल नगर की ओर सादर सूचनार्थ।
5. जिला नोडल अधिकारी, समस्त जिला, छत्तीसगढ़ की ओर पालनार्थ एवं सूचनार्थ।
6. जिला कार्यक्रम प्रबंधक, समस्त जिला, छत्तीसगढ़ की ओर पालनार्थ एवं सूचनार्थ।
7. कार्यालयीन प्रति।


राज्य नोडल अधिकारी (एन.टी.सी.पी)
संचालनालय, स्वास्थ्य सेवाएँ
छत्तीसगढ़


संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास

(इन्द्रावती भवन, विभागाध्यक्ष कार्यालय, ब्लॉक डी, चतुर्थ तल, छ.ग. अटल नगर)

क्रमांक/उप संचा./SBM/87/2018/ 923
प्रति,

अटल नगर, रायपुर, दिनांक 30/1/19

1. समस्त आयुक्त,
नगर पालिक निगम,
(छ.ग.)
2. समस्त मुख्य नगर पालिका अधिकारी,
नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत
(छ.ग.)



विषय:- समस्त नगरीय निकायों को तम्बाकू मुक्त क्षेत्र बनाये जाने के संबंध में ।
संदर्भ:- स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय नई दिल्ली का राजपत्र दिनांक 30 मई 2008

—00—

विषयांकित के संबंध में संदर्भित पत्र का अवलोकन करें । जिसकी छायाप्रति संलग्न प्रेषित है। तम्बाकू उत्पादों के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूकता लाने एवं कोटपा (सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) अधिनियम 2003 के प्रावधानों का पालन सुनिश्चित किये जाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम का संचालन राज्य के समस्त जिलों में किया जा रहा है।

ज्ञात होगा कि कोटपा 2003 की धारा - 4 के अनुसार सार्वजनिक स्थान एवं कार्यस्थल (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, अधिसूचना, नई दिल्ली, 30 मई 2008 अनुसार) धूम्रपान करना प्रतिबंधित है, तथा गैर-धूम्रपान क्षेत्र का बोर्ड लगाया जाना अनिवार्य है।

उक्त सम्बन्ध में आपको निर्देशित किया जाता है कि कोटपा 2003 का पालन एवं लोक स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए अपने-अपने निकाय क्षेत्र को तम्बाकू मुक्त क्षेत्र बनाये जाना सुनिश्चित करें ।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

संचालक

संचा. नगरीय प्रशासन एवं विकास

छ.ग. नया रायपुर

अटल नगर, रायपुर, दिनांक 30/1/19

पृ. क्रमांक/उप संचा./SBM/87/2018/
प्रतिलिपि:-

924

1. सचिव, छ.ग. शासन नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, मंत्रालय, अटल नगर, रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित ।
2. आयुक्त सह संचालक, स्वास्थ्य सेवाएँ राज्य तम्बाकू नियंत्रण सेल की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित ।
3. संयुक्त संचालक क्षेत्रीय कार्यालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास रायपुर/दुर्ग/बिलासपुर/जगदलपुर/अम्बिकापुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

DD (तम्बाकू नि.)
1-2-19

Legal consultant
Do not delay info to
notice office

संचालक

संचा. नगरीय प्रशासन एवं विकास
छ.ग. नया रायपुर